

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या - 04/2021

निर्णय दिनांक :- 15/3/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र -

1. बन्नालाल पुत्र रामनाथ जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. रामराज पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. हेमराज पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. लाडा पत्नी बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. किशनलाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. रामप्रसाद पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. पप्पूलाल पुत्र रामदेव जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. लादी पत्नी रामदेव जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
9. सजना पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
10. मीरा पुत्री रामदेव जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
11. रामकरण पुत्र श्रवण जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0
12. खुशीराम पुत्र छोटूलाल जाति बैरवा निवासी कुशालपुरा तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी पक्ष

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

-अप्रार्थी पक्ष

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 113 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम गांवडी (पटवार हल्का गांवडी) तहसील देवली जिला टोंक प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नहीं है।

अतः जमाबंदी संवत् 2070-73 में अंकित आराजी खाता संख्या 202 खसरा नम्बर 113 रकबा 0.74 है0 वाके ग्राम गांवडी की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/- रू0 निर्धारित की जाकर एतद्द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल की जाती है।


उपखण्ड अधिकारी
देवली